

तारीख
हुम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
हुम की तामील
में जारी हुए

11/4/25

उत्तर कारी हेतु अलग दिना वाक्य
प्रभावली दिनांक 16/4/25 को पेश
हो।


11/4/25

16/4/25

प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. उफ.)
पैरोकार साकार उफ.) प्रभावली वाक्य
जारीवाही सं. 4 लगा. 6 के प्रवाब हेतु
दिनांक 21/4/25 को पेश हो।


16/4/25

6/5/25

प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. अनु.)
प्रभावली में पैरोकार साकार उफ.)
प्रभावली वाक्य जारीवाही सं. 4 लगा.
6 के प्रवाब हेतु दिनांक 12/5/25 को
पेश हो।


6/5/25


12/5/25

प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. अनु.)
पैरोकार साकार उफ.) प्रभावली वाक्य
जारीवाही सं. 4 लगा. 6 के प्रवाब हेतु दिनांक
21/5/25 को पेश हो।


12/5/25

21/5/25

प्रभावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि.
अनुपस्थिति। वादी एवं वादी आधिकार
की निप्रमानुसार हीन बार आवाजे
लगाई गई, परंतु कोई उपास्थिति नहीं
आया। वादी एवं वादी आधिकार की

— लगातार — 
21/5/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

21/5/25

न्यायालय में पुनः एक बार आवेदन लगाई गई।
कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधी-
न के उपस्थित नहीं आने पर वादी का वाद अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राज-मान काइतकारी
आदेशनियम की अदम लागू की। प्रथम पैरवी में
खारिज किया जाता है। निर्णय से इतना
सुनाया गया। पत्रावली में टिकी पचासी ली।
पत्रावली केवल सुमार लेकर दायर ल दफ्तर ली।
और नम्बर से कम ली।

अन
21/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. राम लाल गुर्जर पुत्र मांगी लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगू उर्फ मांगी लाल पुत्र प्रताप, जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. रेखा पुत्री मांगू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. पूजा पुत्री मांगू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग उपतहसील कारोई जिला भीलवाड़ा
6. उपपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 82/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री रतन लाल गाडरी अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 21.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा